

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 87/अ-20(3)/2023-24

(दिनांक 04.01.2024 को पारित)



प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम बीजानगरी तहसील बडौद स्थित की कुल किता 6 कुल भूमि 106.92 हेक्टेयर भूमि में से 59.03 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लॉक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम बीजानगरी की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	12	53.740	18.46
2	21/1	6.880	6.87
3	36/1	21.810	14.63
4	19/1	1.00	1.000
5	1	21.990	17.02
6	18	1.500	1.05
	कुल किता 6	106.92 हेक्टेयर	59.03 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई। कार्यलयीन पत्र क्रमांक/री/2024/136 बीजानगरी दिनांक 04.04.2024 से संबंधित विभाग को पत्र जारी कर आपत्ति/अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आगर मालवा द्वारा पत्र क्रमांक 97/तक./2024-25 आगर दिनांक 05.04.2024, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. जयसिंहपुरा का पत्र क्रमांक/कं.यं./जयसिंहपुरा/कार्य/2023-24/38 दिनांक 15.04.2024, अनुविभागीय अधिकारी (वन) परिक्षेत्र आगर मालवा वन मंडल शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक/2024/637 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत बीजानगरी तहसील बडौद जिला आगर मालवा द्वारा अपने ठहराव/प्रस्ताव दिनांक 29.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा असहमति दी गई है। पटवारी ग्राम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि की नोईयत घासबीड/बडीं दर्ज है। ग्राम की मिसल में निस्तार चरनोई का कुल रकबा 148.85 हे. दर्ज है। आवेदित भूमि यदि आवंटित की जाती है तो चरनोई का शेष कुल रकबा 148.85 हे. बचेगा। यदि आवेदित भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो ग्राम की चरनोई भूमि का रकबा प्रभावित नहीं होगा। उक्त भूमि

२

पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। कुल प्रस्तावित रकबा 59.03 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम बीजानगरी की सिंचित भूमि 15,23,800/- (पंद्रह लाख तेईस हजार आठ सौ रुपये) प्रति हे. के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के शाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 14,39,19,862/- (चौदह करोड़ उन्तालीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बासठ रुपये) होना लेख किया गया है। नायब तहसीलदार बीजानगरी ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि आवंटन की अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अनुभाग आगर- बड़ौद जिला आगर मालवा को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बड़ौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि को धिरौली कॉल ब्लॉक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत बीजानगरी द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.08.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सके अतः ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बड़ौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम बीजानगरी तहसील बड़ौद स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण 14,39,19,862/- (चौदह करोड़ उन्तालीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बासठ रुपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत् हो जावेगा।

6/ नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

(रायदेवी सिंह)

जिला मजिस्ट्रेट (म.प्र.)

जिला आगर मालवा म.प्र.

आगर मालवा, दिनांक 22/11/2024

क्रमांक/रीडर/2024/473
प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौदा।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावे तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

(रायदेवी सिंह)

जिला आगर मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौदा			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-माटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगता तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836381 81QZS2D8S4UEH0	1/1 (S)		17.0200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित

- नोट :-
- 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
 - 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
 - 3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
 - 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: बीजानगरी			पटवारी हल्का: बीजानगरी			तहसील: बड़ौदा			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-माटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगता तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्योरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836403 81QBYTD8S5K9H0	12/1 (S)		18.4600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित (यह जमीन सिंचित है)

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौदा			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-माटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगता तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के संचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836471 81QDMFD8S838H0	18/1 (S)		1.0500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्या.जि.महो.शाजापुर के प्र.क्र. 27 अ 59/1999-2000 दि.14.7.2000 के पालन में गे.मु.बर्डी स्वी.

- नोट :-
- 1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
 - 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
 - 3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
 - 4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौदा			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-माटक (र. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगता तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1024841621 81QEAQD8S804H0	19/1 (S)		1.0000 हेक्टेयर गे.मु.बर्ड 1.0000 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्या.ना.तह.महो बड़ौदा के प्र.क्र.25/2000-2001 अ 3 दि.23.7.2001 के पालन में बटांकन स्वी.

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
- डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: बीजानगरी			पटवारी हल्का: बीजानगरी			तहसील: बड़ौदा			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-माटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगता तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे तथा प्रभार 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के संचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836572 81QGKKD8S93TH0	21/1/1 (S)		6.8700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्या.जि.महो.शाजापुर के प्र.क्र.27 अ 59/99-2000 दि.14.7.2000 के पालन में गो.मु.बर्डी स्वी.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौदा			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-मीटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मोरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौर फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के संचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836425 81QG3RD8SDYLH0	36/1/1 (S)		14.6300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्या.जि.महो.शाजापुर के प्र.क्र.27अ 59/99-2000 के पालन में गे.मु.बर्डी स्वी.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट